



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221097
CG-DL-E-13082020-221097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2419]
No. 2419]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SHRAVANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का.आ. 2725(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH166E के कि.मी. 0 से कि.मी.17.325 (नियर बस स्टैंड करद) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सुब सुब डिविशनल अफसर कराड को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में NH166E के कि.मी. 0 से कि.मी.17.325 (नियर बस स्टैंड करद) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सातारा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कराड					
गांव का नाम: हजारमाची					
1	1	निजी	कृषि	0.0240000(हेक्टेयर)	0.0240000
2	2	निजी	कृषि	0.0313000(हेक्टेयर)	0.0313000
3	3	निजी	कृषि	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
4	5	निजी	कृषि	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
5	6	निजी	कृषि	0.0240000(हेक्टेयर)	0.0240000
6	7	निजी	कृषि	0.0237000(हेक्टेयर)	0.0237000
गांव का नाम: राजमाची					
1	66	निजी	कृषि	0.0165000(हेक्टेयर)	0.0165000
2	71	निजी	कृषि	0.1164000(हेक्टेयर)	0.1164000
3	72	निजी	कृषि	0.0448000(हेक्टेयर)	0.0448000
4	82	निजी	कृषि	0.1363000(हेक्टेयर)	0.1363000
5	83	निजी	कृषि	0.0720000(हेक्टेयर)	0.0720000

6	85	निजी	कृषि	0.0235000(हेक्टेयर)	0.0235000
7	92	सरकारी	गैर कृषि	0.0694000(हेक्टेयर)	0.0694000
गांव का नाम: सैदापुर					
1	245	निजी	कृषि	0.1077000(हेक्टेयर)	0.1077000
2	247	निजी	कृषि	0.0373000(हेक्टेयर)	0.0373000
3	251	निजी	कृषि	0.0071000(हेक्टेयर)	0.0071000
4	252	निजी	कृषि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
5	253	निजी	कृषि	0.0965000(हेक्टेयर)	0.0965000
6	254	निजी	कृषि	0.0194000(हेक्टेयर)	0.0194000
7	255	निजी	कृषि	0.0196000(हेक्टेयर)	0.0196000
8	RASTA	सरकारी	रास्ता	0.0487000(हेक्टेयर)	0.0487000
9	RASTA	सरकारी	रास्ता	0.0759000(हेक्टेयर)	0.0759000
10	RASTA	सरकारी	रास्ता	0.0037000(हेक्टेयर)	0.0037000
11	RASTA	सरकारी	रास्ता	0.0139000(हेक्टेयर)	0.0139000
गांव का नाम: वनवासमाची					
1	38	निजी	कृषि	0.0883000(हेक्टेयर)	0.0883000
कुल				1.1930	1.1930

[फा. सं. RW/NH-12014/141/2017/MAH-P6/3a/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O. 2725(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH166E in the stretch of land from Km. 0 to Km. 17.325 (Near Bus Stand Karad) in the district of Satara in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Karad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH166E in the stretch of land from Km. 0 to Km. 17.325 (Near Bus Stand Karad) in the district of Satara in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: Satara			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Karad					
Village: Hajarmachi					
1	1	Private	Agriculture	0.0240000(Hectare)	0.0240000
2	2	Private	Agriculture	0.0313000(Hectare)	0.0313000
3	3	Private	Agriculture	0.0400000(Hectare)	0.0400000
4	5	Private	Agriculture	0.0030000(Hectare)	0.0030000
5	6	Private	Agriculture	0.0240000(Hectare)	0.0240000
6	7	Private	Agriculture	0.0237000(Hectare)	0.0237000
Village: Rajmachi					
1	66	Private	Agriculture	0.0165000(Hectare)	0.0165000
2	71	Private	Agriculture	0.1164000(Hectare)	0.1164000
3	72	Private	Agriculture	0.0448000(Hectare)	0.0448000
4	82	Private	Agriculture	0.1363000(Hectare)	0.1363000
5	83	Private	Agriculture	0.0720000(Hectare)	0.0720000
6	85	Private	Agriculture	0.0235000(Hectare)	0.0235000
7	92	Government	Non Agriculture	0.0694000(Hectare)	0.0694000
Village: Saidapur					
1	245	Private	Agriculture	0.1077000(Hectare)	0.1077000
2	247	Private	Agriculture	0.0373000(Hectare)	0.0373000
3	251	Private	Agriculture	0.0071000(Hectare)	0.0071000
4	252	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
5	253	Private	Agriculture	0.0965000(Hectare)	0.0965000
6	254	Private	Agriculture	0.0194000(Hectare)	0.0194000
7	255	Private	Agriculture	0.0196000(Hectare)	0.0196000
8	RASTA	Government	RASTA	0.0487000(Hectare)	0.0487000

9	RASTA	Government	RASTA	0.0759000(Hectare)	0.0759000
10	RASTA	Government	RASTA	0.0037000(Hectare)	0.0037000
11	RASTA	Government	RASTA	0.0139000(Hectare)	0.0139000
Village: Vanavasmachi					
1	38	Private	Agriculture	0.0883000(Hectare)	0.0883000
Total				1.1930	1.1930

[F. No. RW/NH-12014/141/2017/MAH-P6/3a/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.